संख्या-164/2015/396आ.न.यो./9-8-15-39आ.न.यो(बजट)/2014

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत-भरगैन, जनपद-कासगंज।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊः दिनांक 02 मार्च, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत विभिन्न नगर पंचायतों को पूर्व में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष चालू कार्यो हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत विभिन्न नगर पंचायतों को अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु आदर्श नगर योजनान्तर्गत विभिन्न शासनादेशों द्वारा सम्बन्धित नगर पंचायतों के द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजनाओं के आधार पर, सम्बन्धित कार्यो हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, उसके सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी थी, जिसके सापेक्ष नगर पंचायत-भरगैन, जनपद-कासगंज द्वारा आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत उक्त 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग करते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। अतः आदर्श नगर योजना में वित्तीय वर्ष 2014-15 में जारी किये गये विभिन्न शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत नगर पंचायत-भरगैन, जनपद-कासगंज को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवशेष धनराशि रूपये 76.61 लाख (रूपये छिहत्तर लाख इक्सठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रूपये लाख में)

d-	tuin	fudk;	Lohdfr fo"k;d 'kklukn'k	foRrh; ,oa i'kkldh; Lohdfr dh /kujkf'k	iFke fd'r d :i e voeDr /kujkf'k	voeDr dh tku okyh /kujkf'k
1	कासगंज	न.पं. भरगैन	291/1988आ.न.यो./9-8-2014-24आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 20.10.2014	153.22	76.61	76.61

(रूपये छिहत्तर लाख इक्सठ हजार मात्र)

2. उक्त् पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक-"2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उसके समतुल्य निकायों को सहायता-04-उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय-01- आदर्श नगर विकास योजना-35-पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3. अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरण हेतु सम्बन्धित नागर निकायों द्वारा 03 दिन के अन्दर बिल बनाकर सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को आगामी 03 दिवस के अन्दर प्रेषित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

अवमुक्त धनराशि मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकायों द्वारा आदर्श नगर योजना के संचालन हेतु निकाय द्वारा खोले गये पृथक राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में आगामी 03 दिवस के अन्दर सीधे जमा की जायेगी।

4. सम्बन्धित नगर पंचायतों को आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत पूर्व में जारी की गयी वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित स्तम्ब 03 में उल्लिखित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

5. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-164/2015/396(1)आ.न.यो./9-8-15 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in